I request the Railway Minister and Planning Commission to take this important project without further delay.

(ix) Alleged eviction of tribals by forest department in Madhya Pradesh.

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) :—उपाध्यक्ष महोदय मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में विशेष रूप से हिडंवाड़ा, मंडला आदि के हजारों आदिवासी परिवार विगत 25-30 वर्षों से बन विभाग की भूमि पर काश्तकारी कर अपने परिवारों का पालन पोषण करते आ रहें हैं । मध्य प्रदेश बन अधिकारी इस वर्ष खेतों की खड़ी फसल काट कर नष्ट कर रहे हैं । उन आदिवासी कृषकों के साथ मार पीट तथा अत्याचारों की घटनायें भी बढ़ती जा रही है : फोरैस्ट अधिकारियों ने यह बताया की केन्द्र सरकार के आदेश हैं कि वन-भूमि पर काश्तकारी करने वालों को शक्ति के बल पर बेदखल किया जाये । पुलिव द्वारा गिरफ्तार किया जावें तथा अदालतों में मुकदमें चलाए जायें । इसी आदेश के अनुसार कब्जाधारी आदिवासी किसानों से जमीनें छीनी जा रही है ।

मध्य प्रदेश वन अधिकारियों द्वारा विगत 25-30 वर्षों से इन आदिवासियों से मुआवजे तथा जुर्माने के रूप में बहुत बड़ी राशि वसूल की गई है ।

इसलिए केन्द्र शासन से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश शासन से वन विभाग के अधिकारियों द्वारा केन्द्र शासन के नाम पर जो अदिवासियों के साथ अत्याचार तथा जमीन से बेदखली की जा रही है उस पर तुरन्त रोक लगाई जायें तथा पूरे प्रकरण के जांच के आदेश पारित किए जायें ।

(x) Relief measures for brought effected tribals of Santhal Parganas in Bihar

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) :—उपाध्यक्ष महोदय मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हुं ।

संथाल परगना में भूख से मरने का सिलसिला आरंभ —

लगातार तीन साल से सूखे से पीड़ित बिहार के संथाल परगना जिले में भूख से मरना शुरू हो गया है । जामताड़ा अनुमंडल के नाला थानान्तर्गत जीवनपुर गांव में एक आदिवासी किसान 28 जुलाई को भूख उसे उतड़प-तड़प कर मर गया ।

संपूर्ण जिला भयंकर अकाल की उस्थिति से होकर गुजर रहा है । स्वयं जिले के उपायुक्त ने भी स्वीकार किया है कि संपूर्ण गोड्डा और जामताड़ा अनुमंडल अकाल की चपेट में हैं । दुमका अनुमंडल के लिट्टी पाड़ा गांव में पहाड़ी आदि वासी पहाड़ों से अस्तर उत्तर कर घर-घर माड़ मागने जाने हैं, लेकिन उन्हें माड़ भी नहीं मिलता ।

बड़े-बूढ़े लोगों का कहना है कि जिले में पिछले साठ वर्षों से ऐसा अकाल कभी नहीं पड़ा । अगर सरकार की ओर से किसी तरह का राहत कार्य नहीं चलाया गया तो भूख से मरने वालों की संख्या में वद्धि होने की आंशका है ।

अकाल पीड़ित दर्जनों ग्रामों का भ्रमण करने के बाद बतयालया गया है कि 50 प्रतिशत से अधिक धान के बिचड़े रोपने के पहले ही सरकार जल चुके हैं । सेर्षा के अभाव के अधिकाश ग्रामों में रोपनी शुरू भी नहीं की जा सकी है । कुछ ग्रामों की एक से पांच प्रतिशत जमीन में किसी प्रकार रोपनी संभव हो सकी है । खेत मजदूरों को कहीं काम नहीं मिल रहा है जिसके कारण वे भयंकर भुखमरी के कगार पर हैं । अगर तुरन्त राहत कार्य शुरू नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर लोग भुखमरी के शिकार होंगे ।

यह भी कहा जाता है कि जामताड़ा में 60 प्रतिशत से भी अधिक धान के बिचड़े जल चुके हैं। उनका कहना है कि जामताड़ा के दर्जनों ग्रामों में धान की रोपनी शुरू भी नहीं हों सकी है । इस प्रकार संपुर्ण जिला अकाल के मुंह में समा चुका है ।

अतः ऐसी प्राकृतिक विपत्ति के समय सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि वह अकाल पीड़ित

क्षेत्रों में तत्काल सभी प्रकार की राहत कार्य शुरू करें ताकि कोई भी व्यक्ति भूख से मरने नहीं पावे।

(xi) Restoration of train Services on Samastipur-Darbhanga and Samastipur-Khagariya Sections of N. E. Railway

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय देश में कोयले का अभाव नहीं है। ऊर्जा मंत्रालय बराबर गौरव के साथ इस का दावा करता रहा है। फिर भी पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर खगड़िया खंड तथा समस्तीपुर दरभंगा की नई लोकप्रिय गाड़ियों का परिचालन कोयले की कमी दर्शा कर निरस्त का जाती रही हैं। यदि कोई कोयले का वास्तविक अभाव हो गाड़ियों के निरस्त होने का कारण है तो ये दोष रेलवे के उन अधिकारियों का है जिन पर कोयले की आपूर्ति का उत्तरदायित्व है। किन्तु आज तक नहीं सुना गया है कि किसी ऐसे अधिकारी को हजारों यात्रियों को असुविधा में डालने के आरोप में दंडित किया गया है ? ऐसा प्रतीत होता है कि निजी यातायात में चलने वाले बस के मालिकों का इन से गठ-जोड़ होने के कारण जानबूझ कर कोयले के कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा की जाती है जिस से जरूरतमंद यात्रियों को विवश होकर अपनी यात्रा बस में करना पड़े। उसी प्रकार के निहित स्वार्थ का हाथ समस्तीपुर मंडल का कुछ हिस्सा काट कर सोनपुर मंडल में मिलाने के पीछे लगता है क्योंकि हर स्टेशन कुछ अधिकारियों को चढ़ावा जो मिलता है। इस पुनर्गठन से परिचालन में कोई सुविधा नहीं बढ़ी समस्तीपुर जंक्शन पर मीटरगेज और ब्राडगेज का वे शासन कायम है जिनमें समुचित सामंजस्य का अभाव है। परिणामस्वरूप एक गेज की गाड़ी बदल कर दूसरे गेज की गाड़ी पकड़ने वाले यात्रियों की गाड़ी कुछ मिनटों के लिये छूटती रही है। हां साठाजगत तक के व्यापारियों की असुविधा अवश्य बढ़ गई है क्योंकि अब उन को रेलवे सम्बन्धित हर काम के लिये कुछ किलोमीटर तय कर निकट के आफिस समस्तीपुर के बदले 70–80 कि० मी० दूर सोनपुर जाना पड़ता है। अतः मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यात्रियों की सुविधा के लिये इन खंडों पर गाड़ियों को निरस्त न होने दें तथा समस्तीपुर मंडल के इहले को पूर्ववत कर दें।

(xii) Need to increase the Contribution of Workers to Provident Found to 10 per cent.

***Shri D.S.A. Sivaprakasam (Tirunelveli)** : Mr. Deputy-Speaker Sir, in India the industries have been classified as Heavy Industry, Mines, Automobiles, Textiles, etc., and for the benefit of workers in these industries, the Central Government enacted Provident Fund Act in 1952 according to which at the rate of 6 per cent contribution to PF was deducted from the salary of the workers and equal amount from the employers' side was also added to the worker's contribution. At the time of retirements the PF amount is disbursed to the workers

On account of the steep rise in the prices and the declining purchasing powers of rupee, the contribution of 6 per cent to PF enhanced to 8 per cent as it was felt that 6 per cent would not fetch anything to the workers at the time of their retirement. Presently, the value of rupee is just 26 paise, as has been estimated by eminent economists of the country and the prices have gone up to high heavens. Unless the PF contribution of 6 per cent is enhanced to 10 per cent the workers will not derive any benefit from their savings later on. The public exchequer will also stand to bene fit by this increase and the equal contribution of management would further add up this amount.

In this background, it is demanded that the Government should amend the PF Act raising the contribution to PF to 10 per cent

---

*The original speech was delivered in Tamil.